दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जबलपुर में भी अलर्ट

पुलिस, बीडीडीएस के साथ खुफिया एजेंसियां भी हुई सक्रिय

जबलपुर, 10 नवंबर. दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में हुए ब्लास्ट के बाद जबलपुर भी अलर्ट मोड में आ गया है. पुलिस के साथ बीडीडीएस, खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है.

दरअसल, शहर में भारतीय सेना संस्थान है. इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया है जहां सेना की ताकत बढ़ाने हथियार, गोला-बारूद, वाहन, तोपें, हाईटैक हथियार बनते है. सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यालय से अलर्ट जारी हुआ है. जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आई और पुलिस की टीमों ने भीड़ भाड़ इलाकोंमें सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है. डॉग स्क्वॉड के साथ फोर्स चेकिंग कर रहा है. चेकिंग के साथ संदेहियों पर नजर रखने के साथ पूछताछ शुरू कर दी गई है. शहर की सड़कों पर पुलिस ने सुरक्षा का पहरा बढ़ाने के साथ निगरानी भी बढ़ा दी है. जबलपुर जोन डीआईजी अतुल सिंह ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी हुआ है. जबलपुर पुलिस अलर्ट मोड में है. चैकिंग शुरू कर दी है. भीड़भाड़ इलाकों में चेकिंग कराई जा रही है. संदेहियों पर नजर रखी जा रही है.

होटलों, वाहनों की चेकिंग, संदेहियों से पूछताछ

सीएसपी सतीश कुमार साहू ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। होटलों, लॉज, वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। चेक करते हुए आने जाने वालों से रोक-टोक कर पूछताछ की जा रही है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

रेल्वे स्टेशन-बस स्टैंड में भी चेकिंग

रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड के साथ-साथ मुसाफिरखाना में भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ चल रही है। जीआरपी-आरपीएफ भी अलर्ट हो गई है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जीआरपी अलर्ट मोड में है। डॉग स्क्वॉड के साथ फोर्स चेकिंग कर रहा है।

अति संवेदनशील है जबलपुर

जबलपुर में सेना के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। मध्य भारत क्षेत्र का सेना मुख्यालय, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो, और कॉलेज ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट शामिल हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां है। गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया और व्हीकल फैक्ट्री, ओएफजे, सीओडी है.

कलेक्टर ने वीडियो कॉल पर ही चेक की हाजिरी

जो गायब मिले, उन्हें किया सस्पेंड

- वीडियो कॉल से चैक की कर्मचारियों की लोकेशन
- लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज, फिल्म का अवतार

मुरैना, 10 नवंबर. मुरैना कलेक्टर का आज एक खास अंदाज प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग उनके इस अवतार को अनिल कपूर की फिल्म नायक वाला अवतार कह रहे हैं, कलेक्टर ने पटवारियों और सचिवों की ऑनलाइन हाजिरी जांची और उनके बहाने सुनने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया.

मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने आज सोमवार को टीएल बैठक के दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों के अलावा सभी तहसीलदारों और जनपद पंचायत सीईओ को वीडियो कॉल पर जोड़ा और उनसे बात की. इसी दौरान कलेक्टर ने पटवारियों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को वीडियो कॉल कर उनकी लोकेशन पूछी.

अचानक वीडियो कॉल पर कलेक्टर को देखकर कर्मचारी हडबडा गए, घर में बैठे कर्मचारी केवाईसी कराने की तो कोई कर्मचारी रास्ते में, तो कोई अन्य शासकीय कार्य करना बताने लगा लेकिन जब कलेक्टर ने लोकेशन दिखाने के लिए कहा तो सच सामने आ गया जिसके बाद कलेक्टर ने ऐसे लापरवाह 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया.

पूर्वान्ह 11 से 1 बजे तक पंचायत में रहने का है आदेश

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सोमवार से गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक पटवारी को पंचायत में बैठना है उसे बाद फील्ड में जाना है लेकिन कलेक्टर को इस आदेश के उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने आज रेंडमली चैक किया जिसमें लापरवाही सामने आ गई जिसकी सजा पटवारियों को निलंबन के रूप में मिली.

खोल दिया बंद रास्ता, कोर्ट ने कहा आगे भी खुला रखें

तीन गांव की सड़क को ठेकेदार को लीज पर देने के आरोप संबंधी मामला

जबलपुर, 10 नवंबर. मप्र हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में सोमवार को कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी व ठेकेदार तिलक राज ग्रोवर हाजिर हुए. उन्होंने बताया कि बंद रास्ता खोल दिया गया है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कहा कि उक्त रास्ते को आगे भी खुला रखा जाए.

कटनी निवासी संदीप जायसवाल सहित अन्य ने एक याचिका दायर कर बताया कि कलेक्टर ने जिले की बरही तहसील के तीन गांवों की सड़क एक ठेकेदार को लीज पर दे दी. ठेकेदार उस रास्ते पर गिट्टी डंप करने लगा, इससे रास्ता बंद हो गया. ग्रामीण परेशान होने लगे. प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.

आदेश का पालन नहीं, कोर्ट ने लगाई फटकार

पूर्व में न्यायालय ने अंतरिम आदेश के तहत रास्ता खोलने के निर्देश दिए थे. आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कलेक्टर और ठेकेदार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने कहा था. दरअसल, कटनी जिले की बरही तहसील के करौंदी खुर्द, कन्नौर और बिचपुरा गांव तक जाने के लिए यह एकमात्र सड़क है. यहां से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण तहसील और शहर आते-जाते हैं. एक जुलाई 2025 को खनिज विभाग की रिपोर्ट पर कटनी कलेक्टर ने बरही तहसील के ग्राम कन्नौर स्थित खसरा नंबर 861 की लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को लीज पर दे दिया. सड़क का इस्तेमाल खनन के बाद डंप करने के लिए होता है. इस जमीन का इस्तेमाल स्थानीय ग्रामीण कई सालों से कच्ची सड़क के रूप में करते आ रहे हैं. राजस्व रिकॉर्ड में भी यह जमीन रास्ते के रूप में दर्ज है. जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.

दूषित पानी पीने से महिला व बच्चे की मौत

अस्पताल में 40 ग्रामीणों का चल रहा इलाज

सागर, 10 नवंबर. सागर जिले के देवरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगवारा के पड़रई खुर्द में दूषित पानी पीने से एक गर्भवती महिला और पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 40 ग्रामीण बीमार हो गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार रविवार रात गांव के कुंए का पानी पीने के बाद कई ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई. इनमें से एक गर्भवती महिला और पांच वर्षीय बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बीएमसी सागर

और बच्चे को देवरी अस्पताल रेफर किया था, जहां आज दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. ममता तिमोरी ने बताया कि सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर सर्वे किया और प्रभावित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया.

जांच के लिए सैंपल लिए

विभागीय टीम ने कुंए के पानी का सैंपल जांच के लिए लिया है और गांव में दवा का छिड़काव कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और अधिकांश मरीजों की हालत में सुधार देखा जा रहा है. बताया गया है कि ग्राम में पेयजल का मुख्य स्रोत केवल एक कुआं ही है, जबकि हैंडपंप खराब पड़े हैं और अब तक हर घर नल-जल योजना की सुविधा भी गांव तक नहीं पहुंच पाई है.

फांसी के फंदे पर झूला 17 साल का बालक

सिंगरौली. खुटार पुलिस चौकी क्षेत्र के बरौहां निवासी एक 17 साल का बालक अपने ही घर में गत दिवस की दोपहर करीब 12 बजे फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या कर लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक पर मारपीट समेत अन्य कई अपराध दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार ग्राम बरौहां निवासी विष्णेन्द्र शर्मा पिता देवेन्द्र प्रसाद वर्मा उम्र 17 वर्ष अधिकांश अपने मामा के घर नौगवां में रहता था. दो दिन पूर्व अपने घर आया था कि परिवारजनों से किसी बात को लेकर कहा-सूनी हुई और दोपहर घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गया.

291 वारंटियों की गिरफ्तारी 342 हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग

ग्वालियर, 10 नवंबर. जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज तड़के तक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया.

इस दौरान शहर और देहात के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने सघन कार्रवाई कर 291 वारंटियों (146 स्थायी, 145 गिरफ्तारी वारंटी) को गिरफ्तार किया गया . साथ ही 342 गुण्डा और हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग की गई. अभियान में थाना महाराजपुरा, हजीरा, डबरा देहात, बेलगढ़ा, भितरवार और आंतरी में शराब और सट्टा प्रकरण दर्ज किए गए. पुलिस टीमों ने फरार बदमाशों और जिला बदर आरोपियों के घरों के साथ-साथ बैंक, एटीएम, होटल, ढाबे और धर्मशालाओं में भी सघन जांच की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं गश्त का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और मुंह ढंके दोपहिया चालकों की विशेष चेकिंग की और सक्रिय बदमाशों को सख्त चेतावनी दी.

संत के माध्यम से भगवान तक पहुंचती हैं बातें

- दंदरौआ धाम में कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा शुरू

भिण्ड, 10 नवंबर. जिले के दंदरौआ धाम में गुरू महाराज पुरुषोत्तम दास महंत की स्मृति में 29वां वार्षिक महोत्सव महामंडलेश्वर मंहत रामदास महाराज के सानिध्य में आरंभ हो गया.

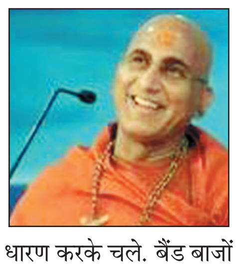

आयोजन के प्रथम दिवस दंदरौआ धाम में सुबह 10 बजे 151 कलशों के साथ मन्दिर परिसर से करीब पांच किमी तक कलश यात्रा निकाली गई. कलश यात्रा के साथ 1008 महामण्डलेश्वर रामदास महाराज, महंत अनिरुद्धवन महाराज धूमेश्वरधाम, महंत कालिदास महाराज तेजपुरा रथ पर सवार होकर चल रहे थे. साथ ही कथा पारीक्षित माता बृजेश उपाध्याय संत समाज एवं महिलाओं के साथ श्रीराम कथा की पोथी को सिर पर धारण करके चले. बैंड बाजों की धुन पर भगवान श्रीराम और हनुमानजी के भजनों पर थिरकते भक्तों ने संतों के साथ दंदरौआ धाम में धूमधाम से 151 कलशों के साथ करीब पांच किलोमीटर लम्बी यात्रा निकाली. यात्रा के वापस कथा परिसर में आते ही श्रीगणेश पूजन के बाद कथा व्यास स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि जब भी भगवान के मन में कुछ आता है तो वे संत के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं. संत अगर आज्ञा दे रहे हैं, संत अगर कोई विचार या कोई प्रेरणा दे रहे है तो वह संत नहीं कह रहे हैं वल्कि भगवान नारायण अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तीर्थ होता है जहां हमें जाना पड़ता है. एक तीर्थ वह होता है जो स्वयं चलकर आता है, जहां हमें जाना नहीं पड़ता वह तीर्थ संत हैं.कथा का वाचन रोजाना शाम चार बजे तक किया जाएगा. यज्ञाचार्य रामस्वरूप शास्त्री के सानिध्य में विश्व शांति और समाज कल्याण के लिए श्रद्धालु आहुतियां देंगे.

कार्यक्रम में मंच संचालन पवन शास्त्री द्वारा किया जा रहा है. इस मौके पर यज्ञाचार्य पं. रामस्वरूप शास्त्री, मंहत अनिरुद्धवन महाराज धूमेश्वरधाम, महंत कालिदास महाराज तेजपुरा, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, रामबरन पुजारी, राजेन्द्र शास्त्री, जलज त्रिपाठी, प्रमोद चौधरी ओमप्रकाश पुरोहित, अशोक पाराशर सहित हजारों श्रद्धालु शामिल रहे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	104123551	संपति पर ऋण	11.10.2025	रु.5,12,145.09/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. जयसिंह करण सिंह 2. सोरम बाई

संपत्ति का पता: वह पूरा टुकड़ा और प्रॉपर्टी/प्लॉट जिसका एरिया 2000 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 187, पी.एच. नंबर 22, गांव- मालकपुर, तहसील- सोनकच्छ, जिला- देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- सौदान सिंह चौधरी का घर, पश्चिम- जसमलसिंह का घर, उत्तर- सड़क, दक्षिण- सज्जन सिंह सेंधव की ज़मीन (बाड़ा)

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 11.11.2025
स्थान: देवास

प्रभारी मंत्री सम्पतिया उईके का आगमन आज

सिंगरौली 10 नवम्बर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री सम्पतिया उईके का दो दिवसीय आगमन कल दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे फ्लाईओला से सिंगरौली पहुंचेंगी. जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुये रात्रि सूर्याभवन विंध्याचल में विश्राम करेंगी और दूसरे दिन विभागों की समीक्षा बैठक लेंगी. जानकारी के अनुसार जिले के प्रभारी मंत्री सम्पतिया उईके कल दिन मंगलवार की प्रातः 10 बजे से भोपाल से सिंगरौली के लिए हवाई जहाज से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे सिंगरौली एयरपोर्ट पर पहुंच सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक के निजी निवासी देवसर-सुपेला पहुंच शोक व्यक्त करेंगे.

पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया अंतरराज्यीय गैंग पकड़ाई

- कई जिलों में वारदातों को दे चुके थे अंजाम, माल बरामद

मंदसौर, 10 नवंबर. पुलिस ने ग्राम आक्या में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय लूट व चोरी गैंग के तीन सदस्यों (जिनमें दो मुख्य आरोपी और एक विधि विवादित बालक शामिल) को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों से स्वर्ण आभूषण, 38 हजार रुपए नकद और दो चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं. पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल और एसडीओपी कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना दलौदा प्रभारी मनोज गर्ग, चौकी प्रभारी पूर्णिमा सिंह एवं टीम ने यह कार्रवाई की.

घटना 27 सितंबर को आक्या निवासी प्रकाश माली के घर पर हुई थी, जब बदमाशों ने रात में दरवाजे तोड़कर परिवार को चाकू की नोक पर धमकाया और जेवर व नकदी लूट ली थी. सैकड़ों ष्टष्टञ्जङ्क फुटेज और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने नीमच जिले के हाड़ी पिपल्या निवासी आर्यन पिता सुरेश मालवीय और जोनी पिता रवि बाछड़ा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने नीमच, मंदसौर, रतलाम सहित अन्य जिलों में लूट, चोरी और डकैती की आधा दर्जन से अधिक वारदातें स्वीकार कीं.

किसान संघ ने लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त करने की मांग

धार, 10 नवम्बर. मध्यप्रदेश के धार में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को एडीएम संजीव केशव पाण्डेय से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में लागू लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त करने और उज्जैन जिले में किसानों पर दर्ज प्रकरणों को वापस लेने की मांग की है. जिला मंत्री अमोल पाटीदार ने बताया कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश से लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त किया जाए. उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र की नगर विकास योजना (टीडीएस 8, 9, 10, 11) के अंतर्गत जारी गजट नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द किया जाए तथा सिंहस्थ आयोजन पूर्व की तरह पारंपरिक स्वरूप में किया जाए.

किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानीं, तो 18 नवम्बर को उज्जैन में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें धार जिले सहित प्रदेशभर के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे.

केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज सहित, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सीजीसीएल को करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं:

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता क्रमांक LNMEIN3000075774 (पुराना) 80400005741411 (नया) (इंदौर 1 शाखा) श्री लाखन सिंह चोयल (उधारकर्ता) श्रीमती रुखमणी बाल चोयल (सह-उधारकर्ता)	24.10.2025 रु. 37,83,620/- (08.10.2025 तक)	संपत्ति 1 संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन है, मकान नंबर 48, पीएच नंबर 49 (पुराना पीएच नंबर 42), क्षेत्रफल 1243 वर्ग फीट, गांव भीकूपुरा, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455227, निम्नानुसार घिरा हुआः उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः भानु जी मुकाती का घर, पश्चिमः स्वयं का घर संपत्ति 2 संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन है, पीएच नंबर 42 पर, क्षेत्रफल 1355 वर्ग फीट यानी 125.92 वर्ग मीटर, गांव भीकू पुरा बागली, जिला-देवास, मध्य प्रदेश-455227, निम्नानुसार घिरा हुआः उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः कनु जी का घर, पश्चिमः नाना जी पटेल का बाड़ा कुल क्षेत्रफल 2599 वर्ग मीटर फुट.
2.	(ऋण खाता संख्या LNMESAJ000111131 (पुराना) 80300005920393 (नया) (आगर मालवा शाखा) श्री शब्बर अली (उधारकर्ता) श्री कासिम अली, श्रीमती रुक्कैया बाई (सह-उधारकर्ता)	24.10.2025 रु. 44,25,529/- (08.10.2025 तक	भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, मकान नंबर 26, भूमि क्षेत्र 728 वर्ग फीट, वार्ड नंबर 23 (नया), पुराना वार्ड नंबर 18, तिलक मार्ग किला रोड (मुख्य सड़क), नगर पालिका, तहसील और जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 465001, इस प्रकार घिरा हुआ हैः उत्तरः सड़क, दक्षिणः मथुरा लाल राठौर का घर, पूर्वः अब्दुल हुसैन की दुकान, पश्चिमः दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का घर
3.	(ऋण खाता क्रमांक LNMERTL000064302 (पुराना) 80400005806125 (नया) (रतलाम शाखा) श्रीमती रुक्मण धाकड़ (उधारकर्ता) श्री राजेश धाकड़ (सह-उधारकर्ता)	27.10.2025 रु. 46,13,393/- (10.10.2025 तक)	संपत्ति क्रमांक 1 संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें पीएच क्रमांक 58 पर संपत्ति में भूमि और भवन है, भूमि क्षेत्र 2020 वर्ग फीट, सर्वे क्रमांक 96/मिन 11/2, ग्राम सुजावता, आरएनएम-2, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457226 सीमाः पूर्व द्वाराः सरकारी अनिर्मित मार्ग पश्चिम द्वाराः सामान्य मार्ग जावरा उज्जैन दो लेन उत्तर द्वाराः क्रेता की भूमि दक्षिण द्वाराः विक्रेता की शेष भूमि संपत्ति क्रमांक 2 संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें पीएच क्रमांक 58 पर संपत्ति में भूमि और भवन है, भूमि क्षेत्र 5200 वर्ग फीट। फीट, सर्वे नं. 96/मिन-3, ग्राम सुजावता, आरएनएम-2, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457226 सीमाः पूर्व द्वाराः सरकारी अनिर्मित मार्ग पश्चिम द्वाराः सामान्य मार्ग जावरा उज्जैन दो लेन उत्तर द्वाराः सर्वे नं. 96/मिन-1 के शेष क्षेत्र के अन्य मालिक दक्षिण द्वाराः बंटी गवली की भूमि

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 11-11-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

यात्रा

ग्राम धनेरिया कला से एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, यूनिटी मार्च पदयात्रा का शुभारंभ

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित

नीमच, 10 नवंबर. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शो पर चलकर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.

यह बात नीमच, जावद, मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ग्राम धनेरिया कलां से आयोजित एक भारत, आत्मनिर्भर भारत यूनिटी मार्च पदयात्रा के शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कही. इस मौके पर विधायक ओमप्रकाश सखलेचा, दिलीप सिह परिहार, नीमच न.पा.अध्यक्ष स्वाति चौपड़ा, जिला अध्यक्ष वंदना खण्डेलवाल, जनपद अध्यक्ष शारदा बाई धनगर, पूर्व जनपद अध्यक्ष उमराव सिह गुर्जर, पूर्व न.पा.अध्यक्ष राकेश जैन, न.पा.के पूर्व उपाध्यक्ष महेन्द्र भटनागर, हेमन्त हरित, मोहन सिह राजावत, विश्वास सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारी, सीईओ अमन वैष्णव उपस्थित थे.

प्रारंभ में अतिथियों ने माँ सरवस्ती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. तदपश्चात धनसिह केथवास, दीपक नागदा, सरपंच राजेश अजमेरा ने अतिथियों का स्वागत किया. कार्यक्रम का संचालन श्री आदित्य मालू ने किया. अतः में विधायक दिलीप सिह परिहार ने उपस्थित जन समुदाय को एकता की शपथ एवं स्वदेशी अपनाने की सामुहिक शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम स्थल धनेरिया कला से सांसद सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में विशाल यूनिटी मार्च पदयात्रा प्रारंभ हुई, जो धनेरियाकला से प्रारंभ होकर बघाना रेल्वे स्टेशन, वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पश्चात सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय पहुंची. इस पदयात्रा में सांसद, विधायक, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, स्काउट के विद्यार्थियों, जन अभियान परिषद की समिति के सदस्यगणों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिलाओं, अधिकारी, कर्मचारियों आदि सभी वर्गो के लोगो ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. दस किलोमीटर लम्बी इस पदयात्रा के दौरान सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच में मातृशक्ति सम्मेलन एवं भारत माता चौराहे नीमच पर युवा सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए.